

विधि शास्त्र पर प्रश्नोत्तर

(Q & Ans On Jurisprudence)

राधा रमण पाण्डेय

एडवोकेट

प्रकाशक

सेन्ट्रल ला एजेन्सी

११ धुनियसिटी राड इलाहाबाद

प्रकाशक

सेन्ट्रल लॉ एजेंसी

११, पुनिवसिटी रोड इलाहाबाद

सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

मूल्य चार रुपए

मुद्रक—जनता प्रेस

इलाहाबाद

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	विधि शास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र ✕ (Meaning & Scope of Jurisprudence)	१
२	राज्य तथा प्रभुमता (State and Sovereignty)	२७
३ ✓	विधि के प्रकार (Kinds of Law)	५२
४	नागरिक विधि (Civil Law)	७३
५	विधि का भेद एवं वर्गीकरण (Kinds and Classifications of Law)	९३
६	प्रशासनिक न्याय (Administration of Justice)	९६
७ ✓	विधि के स्रोत (Sources of Law)	१०५
८	वैधानिक अधिकार (Legal Rights)	१४१
१०	वस्तुएँ (Things)	१६१
११ ✓	आधिपत्य (Possession)	१६३
१२ ✓	स्वामित्व (Ownership)	१७९
१३ ✓	व्यक्ति (Person)	१८७
१४ ✓	स्वत्व (Titles)	२०१
१५ ✓	उत्तरदायित्व (Liability)	२०७
१६ ✓	सम्पत्ति विधि (Law of Property)	२२५
१७ ✓	प्रकार का अर्थ विधि (Law of Obligations)	२२६
१८	प्रक्रिया विधि (Law of Procedure)	२३१

विधिशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र

(Meaning & Scope of Jurisprudence)

प्रश्न १—विधिशास्त्र का क्या अर्थ है ? इसके महत्व पर प्रकाश डालिये।

Q 1 What is meant by Jurisprudence ? Show its importance

उत्तर—विधिशास्त्र अर्थ—जहाँ पर किसी गान का विधिपूर्वक स्रोत होता है, वही पर उसके विधान का प्रादुर्भाव होता है। विधान स्वयं विधिपूर्वक स्रोत है अतः इस विधान कहा जा सकता है और एम विधान को विधिशास्त्र कहा जा सकता है। विधि शास्त्र (Jurisprudence) का अर्थ उत्पत्ति लटिन के दो शब्दों से है। Juris एवं Prudentia। पहला शब्द है Juris जिसका तात्पर्य होता है विधि या कानून तथा दूसरा शब्द है Prudentia जिसका तात्पर्य होता है शास्त्र या गान। जब गान विधिपूर्वक अमबद्ध हो जाता है तब वह विधान कहना जाता है। अतः गान का रूप से भी विधि शास्त्र का तात्पर्य अमबद्ध गान या विधि विधान से है।

परन्तु विधिशास्त्र केवल कानूनी गान ही नहीं है। यह विधि विधान है। गान की शब्दा के विज्ञान होने के लिए उसको विधिपूर्वक तथा अमबद्ध होना चाहिए। तिनके बिना तथ्यों के आधार को विधान नहीं कहा जा सकता उन्हीं तरह वैधानिक तथ्यों की भी अज्ञात है—उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुएँ हैं एक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हो, उसका कुछ अर्थ भी हो यह सब बातें अपने आप में विधिशास्त्र के अन्तर्गत नहीं आ सकतीं। इन तथ्यों का वैधानिक रूप से इकट्ठा होना आवश्यक है और उनका विश्लेषण होना भी जरूरी है और साथ ही साथ उनका प्रारम्भिक सिद्धांत का भी तात्त्विक निर्धारण होना जरूरी है।

Allen के मतानुसार केवल कानून के आवश्यक सिद्धांतों का वैधानिक षाह मरोठ ही विधिशास्त्र कहला सकता है।

G C Lee के मतानुसार विधिशास्त्र वह विधान है जो मूल सिद्धांतों के निर्धारण का प्रयास करता है तथा कानून जिसको व्यक्त करता है।

According to G C Lee Jurisprudence is a science which endeavours to ascertain the fundamental principles of which law is the expression

Moyle के मतानुसार विधिशास्त्र का प्रत्येक सामान्यतः वही है जो अन्य शास्त्रों का होता है।

लेकिन जब विधिशास्त्र की परिभाषा विधि विज्ञान की सी होती है तब सभी कानून विधिशास्त्र के दायरे में नहीं आते। विधान का तात्पर्य है—काय नियम या गति विधि। अतः यहाँ प्रायात्मिक विधान नैतिक विधान एवं ईश्वरीय विधान हो सकते हैं। पर यह विषयों पर हो जायगा यदि इस पर अधिक चर्चा होगी।

डा. सामण्ड के मतानुसार इस सम्बन्ध में विधान का तात्पर्य पूर्णरूपेण दीवानी विधान तक देग के विधान से है। यह उन दूसरे नियम समूहों के विरुद्ध है जिनकी खोज तान कर विधि की सजा दी जाती है।

Dr Salmond—'By law in this connection is meant exclusively the civil law, the law of the land, as opposed to those other bodies of rules to which the name of law have been extended by analogy

विधिशास्त्र का हमारा अध्ययन प्रास्टिन के शासन में निश्चयात्मक विधि के शासन में निहित है। प्रास्टिन पुनः कहते हैं कि विधिशास्त्र का उचित विषय इसके विभिन्न विभागों में निहित विधि है। निश्चित या सुस्पष्ट विधि का अर्थ है, एक स्वतन्त्र राजनैतिक समाज में महान सरकार या प्रभुसत्ताधारी (Sovereign) के अधिकारों या शक्ति द्वारा घोषित विधि। (The appropriate subject of jurisprudence in any of its different departments is positive law meaning by positive law law established or posited in an independent political society by the express or tacit authority of its sovereign or supreme Government)

Dr Holland के मतानुसार विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है।

Prof Gray के मतानुसार विधिशास्त्र एक वैधानिक विधान है जिसका तात्पर्य यह होता है कि कोई भी नियम विधिपूर्वक एक सूत्र में बंधा हो जो कि सरकारी अंगणों में प्रचलित हो तथा जिसमें नियमों के सिद्धांत निहित हो। हम लोग विधिशास्त्र के अन्तर्गत एक देग या दूसरे देग के विधान का अध्ययन नहीं करते हैं।

हम लोग केवल विधिशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों का वैधानिक सम्बन्ध एक दूसरे से भिन्न हो सकता है यह भी

सम्भव है कि राष्ट्रों में जो कानून प्रचलित हैं वे भी मिनटा रखतों पर सारभूत सिद्धांत एक ही हैं। मॉलिफ सिद्धांत को कानून प्रधिकार एवं कर्तव्य प्रांतिकार एवं दंड प्रातिपत्य एवं स्वामित्व में सब वैधानिक विधिवा प्रायत म मिनती जुनती हैं। ये वैधानिक विधियाँ ही वास्तव में विधिशास्त्र का मूलमंत्र हैं। Paton मूल्य कहते हैं कि ये भी अध्ययन की विधि है, इसको एक देश के विधान का अध्ययन नहीं बल्कि इसे सामान्य अध्ययन कहा जा सकता है। Paul Vinogradoff के मतानुसार—

सरत नियम एवं निरिक्त विधि के भाग जा हर राष्ट्र के इतिहास में मिश्रता प्रकट करत है व मुकाबल में या अध्ययन से विधि विधान का उत्पन्न होता है। यह विधिशास्त्र उन सामान्य सिद्धांतों के उद्घोष का खोज करता है जो परिश्रम तथा प्रयत्नशीलताओं में पाये जाते हैं।

विधिशास्त्र का महत्व—विधिशास्त्र के मूल पर प्रकाश डालना प्रयत्नशीलता नहीं कहा जा सकता। सामाजिक विधान होने के नाते विधिशास्त्र अनरु प्रकार के सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान करता है, जो एक सामाजिक शास्त्र के लक्षण हैं। निम्नलिखित विधान का मांडे' कहा जा सकता है सम्पत्ति में निम्नलिखित बातों से इस शास्त्र के मूल का प्रकाश होता है —

(१) व्यवस्थापिका समा के नियमों को विधिशास्त्र का अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विधिशास्त्र के द्वारा ही व्यवस्थापिका की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जैसे कानून के निर्माणों को परिभाषित करना, दर्यादि अथवा अधिकार (Right), कर्तव्य (Duty), अधिकार (Possession), स्वामित्व (Ownership) परम्पराधिकार (Prescription) प्राप्ति का बलन नहीं के ना पड़ता क्योंकि इन सार सभी का विधिशास्त्र में स्पष्टता से बलन किया गया है।

(२) विधिशास्त्र कानून के विधायियों के लिये मानसिक वैधानिक बुद्धि के लिए एक पात्र है।

(३) जिस तरह से भाषा के लिए व्याकरण का होना महत्वपूर्ण है उसी तरह से विधिशास्त्र का विधान के नियम होना परमावश्यक है क्योंकि विधिशास्त्र के द्वारा ही विधान के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। विधान Holland के उदाहरण में यह कहा जा सकता है— जैसे समानता एवं मिनता को एक म्यान पर इकट्ठा करके किसी भाषा के माया विधान के द्वारा निमाण होता है और इस तरह से इकट्ठा किये का आधार व्याकरण होता है। उसी मंडि देश विधिशास्त्र का कानून इकट्ठा करके एक वैधानिक मस्या का निर्माण होता है और एकी मस्या के अन्तर्गत में विधिशास्त्र का कानून बड़ा हाथ होता है जो कि विधान का मरत मरत

सम बनाता है तथा जो भिन्न भिन्न प्रकार के वास्तविक सस्यान द्वारा जाने जाते हैं।

(४) विधिशास्त्र कानून की कमियों का पूरक है। जहाँ विधान एतदम गत रहता है अथवा कुछ अंतर एक विधान और दूसरे विधान में रहता है विधिशास्त्र ऐसे ही स्थान पर कानून को समझने में सहायता करता है जैसे राम ने एक हिरन को चोट पहुँचाई और श्याम ने हिरन को पकड़ लिया एनी अवस्था में यदि कानूनी सहायता नहीं मिलती तो यायाधीशों को विधिशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और तभी कोई यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि याम का आधिपत्य उस हिरण पर वरुलिय है कि वह आधिपत्य के आवश्यक गुणों को पूरा करता है।

(५) यद्यपि आस्टोन महोदय के अनुसार विधिशास्त्र का महत्व वकालत पेशा करने वालों के लिये बहुत कम है जिसको कि प्रागे चलकर Dickey महोदय ने कहा कि विधिशास्त्र एक वह शब्द है जिसको कि नेबर वकीलों में नोक-भोक चला करती है। तथा विधिशास्त्र का वकीलों के काम में बंधू करना है—'Jurisprudence is a word which stinks in the nostrils of a practising Barrister' पर तब फिर भी यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वकीलों को अपने प्रतिनिध के काम में विधिशास्त्र का प्रयोग आजाने ही में करना पड़ता है और वे करते हैं।

(६) विधान की व्याख्या करने में वकील जज एवं जुरी अपनी कल्पना की उड़ान में उड़ते हैं। यह विधिशास्त्र ही है जो कि एनी कल्पनाओं पर एक रोक लगाती है और सही सही विधान की व्याख्या करने में लिये बाध्य करता है।

(७) आज के युग में कृष्ण विद्वानों सहित सहस्रों व्यवस्थापिकाओं सहित कानूनी या प्रत्येक रूप निर्माण करती है एवं उन सब के लिए सम्भव नहीं कि वह सभी कानूनों से अवगत हो वहाँ पर विधिशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के अध्ययन द्वारा कानून रुक ही जाता है क्योंकि यह सिद्धान्त वर नियमों की सुलभाने के नियम प्रदान करते हैं।

निम्नलिखित एक विधिशास्त्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि विधान की विभिन्न शाखाओं में बहुत विधिशास्त्र ही एक एनी शाखा गाला है जिसमें कि नितात व्यावहारिक सामान्य नियमों को प्रभावित हो जाती है। 'Among all branches of Science it is precisely in law that the compelling necessity for a generalised system is felt'.

प्रश्न २—विधिशास्त्र का उत्पत्ति (Origin) एवं विकास पर प्रकाश डालिए।

Q 2 Give the origin and evolution of jurisprudence ?

उत्तर—उत्पत्ति यद्यपि कि कुछ विद्वानों के मतानुसार विधिशास्त्र एक बहुत ही पुराना विज्ञान है और बहुत विद्वानों का मत है कि विधिशास्त्र एक समाजशास्त्र का जन्म प्रथम तब नही हुआ है, तथापि यह मानना पड़ेगा कि प्रारम्भ में सभी विज्ञान एक धूमिल नाना की भाँति थे और ऐसा अवस्था में यह कहना अनुचित न होगा कि विधिशास्त्र की भी अवस्था कुछ ऐसी ही रही होगी।

(२) सबसे प्रथम यूनानी अथवा प्रत्यागित चार्ता द्वारा प्रायः पर उनही यथा अपराध रूप से यथानिश्च नियमा की वृद्धि में सहायता प्रदान करती रही, तो भी विधिशास्त्र के क्षेत्र में अदर प्रवेश नहीं कर सकी।

(३) यद्यपि यूनानी लोग अपने प्राकृतिक विधान (Jus Naturale or Natural laws the father of modern equity) के द्वारा विधान की नींव डालने में सफल रहे जिसको कि Romans ने बड़ा महत्त्व दिया तो भी Jews की तरह यूनानियों में भी धर्म नैतिकता तथा कानून में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में उनकी प्राकृतिक विधि में समान्य Equity की उत्पत्ति हुई विधिशास्त्र का नहीं। बाद में यहूदियों की तरह यूनानियों में कोई भी धर्म, नैतिकता एवं विधान में नहीं माना। अतः विधिशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। Ser Henry Maine ने अपने Ancient law में कहा है—यूनानी विद्वानों में इतनी ही अतन्वीयता प्रान पर ही यथा अपने को विधान के क्षेत्र में नहीं माने। यूनानी अज्ञानने भाषाकी बन्नी, पर विधिशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका।

The Greek intellect with all its mobility and elasticity was quite unable to confirm itself within the spract waistcoat of a legal formula The Greek tribunals exhibited the strongest tendency to confound law and fact No durable system of jurisprudence could be produced in this way)

(४) रोम के अवस्था शास्त्र के ज्ञानादा (Jurists) को विधिशास्त्र के उत्पत्ति का अर्थ दिया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं—(अ) विधिशास्त्र का विधान में एक स्वतंत्र विधान विज्ञान (ब) उनका विज्ञान का एक विज्ञान यथापि विधिशास्त्र का प्राथमिक स्वयं Latin भाषा से हुआ है, (स) और अग्रज जस्टीनिअन के

नागरिक विधि क प (Justinian's Corpus juris civilis) को जिसके द्वारा विधान के निम्न एव सिद्धांत प्रतिपादित हुए। Prof Holland के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व के व्यवस्थाशास्त्र के पाताश्रो का श्रेणी है जिसने कि ऐसे विधान को जन्म दिया। यह उनकी भाषा के द्वारा ही पात हो जाता है कि विधान का नामकरण उसी पर हुआ वय कि उन लोगों ने स शासन को देवन नाम ही नहीं प्रदान किया वरन् वैधानिक विचारो म नाट छोट करके उहोने एक क्रमिक एव सुसम्बद्ध रूप भी प्रदान किया।

रोम के एव प्रमुख यादशास्त्री (Jurist) Ulpia ने विधिशास्त्र की परिभाषा दते हुए कहा है कि यह मानवीय तथा देवीय वस्तुओं का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान है। यह परिभाषा वास्तव में तथ्य से बहुत कुछ भ्रमल है। प्रथम रोम वासी सिसरो (Cicero) ने विधिशास्त्र की परिभाषा दी है कि यह विधि के ज्ञान का नागरिक रूप है। यह परिभाषा समय के बहूत समीप है और असस ज्ञात होता है कि यह विधान नागरिक विवसित हो रहा था। परन्तु रोम साम्राज्य पर ही समय आक्रमण किया गया और उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। शुरुकी दिनगिटि क साथ ही साथ विधिशास्त्र भी नष्ट हो गया।

(५) १३वीं शताब्दी में विधिशास्त्र को धर्मशास्त्र की एक शाखा के रूप में पुनः स्थापित किया गया। St Thomas Aquinas की रचना में इस प्रकार की पुनरर्थापना का स्पष्ट प्रमाण है। राजनैतिक क्षेत्र में धर्मशास्त्र तथा विधिशास्त्र के सम्मिश्रण का परिणाम हुआ धार्मिक दंड प्रणाली का अगुदय। तूयरीन धर्मशास्त्र (ईश्वरीय विधान) क विदमो का विधि द्वारा अनुचित अन्वहरण विधि ज्ञान क विरुद्ध आवाज उठाई।

(६) १६वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार के आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधिशास्त्र को धर्मशास्त्र से पृथक किया जाने लगा। धर्म सुधारकों का काय बन्त महान था इहे पोप तथा क्ल्याट की शक्ति से धर्म को पृथक करना था।

हमारा ध्येय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधान क जनक बड़े जाते हैं कहा कि यह हो सकता है कि विभिन्न राष्ट्र अपने पारस्परिक बाह्य व्यवहार में अन्तर्गत विधि या प्राकृतिक विधि का पालन करें परन्तु फिर भी उन् पूर्ण अधिकार है कि वे अपने आंतरिक मामलों में अपनी आवश्यकतानुसार विधि का निर्माण करें।

हासन राय क भाषा का ही विधि बताया और कहा कि राज्य क नागरिक विधियों को मानन क नियम ही है। हासन क विचार म राज्य को यह अधिकार है कि अपने नागरिकों को अपने मनवाय।

(७) यहाँ तक कि १७वीं शताब्दी में Prof Blackstone ने कहा कि ई-बरीष विधान राज्य विधान से अलग है। इस विचार धारा का खण्डन वे सम महोदय ने किया और उसी समय से वैधानिक शास्त्र धर्मशास्त्र के बंधनों से मुक्त हुआ। अर्थ इस धर्मशास्त्र के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय विधि, राजनीति तथा विधि निर्माण से सम्बन्धित किया गया। वे-मन-म प्रकार प्राणियम तथा राष्ट्र दोनों के विचारों से पृथक् विचार अलग किया। प्राणियम के विचार से समस्त विविध साम्प्रदायिक समस्याओं एक विषय अंतरराष्ट्रीय विधि का ही अंग होती है। शास्त्र के विचार से राजनीति शास्त्र ही प्रमुख है और विधिशास्त्र के विचार से इसी प्रमुखता को दृष्टि में रखकर किया जाता चाहिए। परन्तु वे-मन ने कहा कि विधि निर्माण विधिशास्त्र का ही अंग है। १८वीं शताब्दी में ही विधिशास्त्र को एक स्वतंत्र विधान का रूप प्राप्त हुआ है।

फिर भी विधिशास्त्र को एक स्थिर विधान नहीं कहा जा सकता। विधान के उत्थान के साथ-साथ इसकी भी उन्नति हो रही है। Savigny के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस तरह भाषा और याकरण का सम्बन्ध रहता है इसी प्रकार विधान का प्राथमिक स्वरूप प्रकृति से रहता है यह प्रकृति जन समुदाय से उत्पन्न होती है।

अतः विधिशास्त्र जो कानून का विधान है, विधि की उन्नति के साथ उन्नति करता है। (Jurisprudence which is a science of law progresses with the growth of law)

जहाँ Cicero एडम् और भी रोम के विधिशास्त्री विधिशास्त्र की विधान का ज्ञान करते हैं मूल इमका शास्त्र के अर्थ भी है। वहीं और भी नवीन विधिशास्त्रियों का कहना है कि विधिशास्त्र साम्प्रदायिक विधान का अर्थ है। अतः Ulpian मूल्य अनुसार अस्तु ज्ञान के बरीय ज्ञान एवं मानवीय ज्ञान ही विधिशास्त्र है वहीं पर Allen महोदय का कहना है कि इस विधि के प्रमुखतम सिद्धांतों का अर्थ भी अर्थपूर्ण कहते हैं।

इस प्रकार विधिशास्त्र की अर्थगत जो विधि के ज्ञान से प्रचलित भी और और विचार परिमलन में साथ-साथ नये विधि विधान का रूप पारण कर निदा।

अर्थ—विधिशास्त्र का विभिन्न परिभाषाओं विधियों तथा इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिये।

Q 3 Give the various definitions of Jurisprudence and its scope

उत्तर—(अ) परिभाषाएँ—विधिशास्त्र का अर्थ विभिन्न विचारकों ने विभिन्न-

मि न प्रकार से समझाया है और उसी के अनुसार उसकी परिभाषा दी है।

विधिशास्त्र का गार्तिक अर्थ है विधि का ज्ञान पर नु समय की गति के साथ साथ अपना अर्थ विधि विज्ञान हो गया है।

Ulpian नामक प्रसिद्ध रोम विधिशास्त्री ने विधिशास्त्र को उचित और अनुचित का नाम देना कहा है तथा मानव एवं ईश्वरीय ज्ञान का विज्ञान भी। यह परिभाषा हम लोगों का प्राचीन समय की याद दिलाती है जब कि विधिशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान (Jus Naturalc or Natural law) के रूप में था जो कि ईश्वर या उगलिया द्वारा मानवीय हृदय में अंकित रहता था। यह परिभाषा भी कोच महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं बल्कि जा सकती क्योंकि यह परिभाषा नीतिशास्त्र धर्म शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र तीनों में पाई जाती है।

सिसरो (Cicero) विधिशास्त्र को विधि के ज्ञान का दार्शनिक रूप कहा है। यह परिभाषा थोड़ा बड़ाकर सत्य की ओर उपयुक्त परिभाषाओं की अपेक्षाकृत अधिक उचित होती हुई प्रतीत होती है। यद्यपि दार्शनिक विधिशास्त्र के लिये ठीक प्रकार से नाम नहीं दिया क्योंकि विधिशास्त्र वास्तव में एक विज्ञान या विधि के अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है फिर भी विधिशास्त्र का विधि से तो सम्बन्ध है ही।

उदाहरणस्वरूप हम लोग नित्य विधि तथा भौतिक विधि से सम्बन्ध रखते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम (Law of Gravitation)

Austin महोदय भी इसी दृष्टि से विधिशास्त्र की परिभाषा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि विधिशास्त्र वा सुस्पष्ट विधि का दण्ड है। Holland ने विधिशास्त्र की परिभाषा श्रीपचारिक विज्ञान शब्दों की रचना करके दी है। प्रथम ०५ में सामान्य विधिशास्त्र का वैज्ञानिक विधि विज्ञान कहा है। प्रथम ४ में Prof Gray ने भी इसी दृष्टिकोण से विधिशास्त्र की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि विधिशास्त्र उन नियमों एवं उन नियमों के पीछे छिपे रहने वाले सिद्धांतों का अध्ययन करता है जो कि यायावय विवाह का निवृत्तान के नियम प्रयोग करता है। Allen के मतानुसार विधिशास्त्र विधान के वैज्ञानिक एवं आवश्यक नियमों का अध्ययन करता है।

(घ) विधिशास्त्र का क्षेत्र— विधिशास्त्र के क्षेत्र के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राकृतिक विधान के साथ साथ नैतिकता भी विधिशास्त्र के अन्तर्गत आती है उसमें उनका क्षेत्र विस्तृत होता है पर कुछ विद्वानों का मत है कि विधिशास्त्र के विषय में प्रकट करते हुए कहा है कि विधिशास्त्र के अन्तर्गत नैतिकता एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधान भी सम्मिलित है। Ulpian के

तब विधिशास्त्र उचित अनुचित तथा मानवीय एवं दली दस्तुर्घों का जाल या एक Scale न विधिशास्त्र की परिभाषा यापिक विज्ञान कह कर दी।

इन परिभाषाओं में साम्य ही है, पर कोई स्पष्ट करण ही कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसका निष्पत्ति विधि बनना या नैतिकता करेगी।

परन्तु यदि विधिशास्त्र के क्षेत्र में समय ममा बात मान ली जावे तो विधिशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो सम्भव है। जयगा परन्तु निश्चित नही रहेगा। इसमें अन्तर्गत राजकीय विधि तथा नैतिक नियमों में बाँट कर नहीं रह जायगा। आस्टीन तथा उनका धारा बानों न विधिशास्त्र की विषय सामग्री बचन सुस्पष्ट विधि ही माना है। व नैतिकता का विधि से अलग रखते हैं। उनका सुस्पष्ट विधि का अर्थ विधि से तात्पर्य है जो राज्य के प्रथम द्वारा नागरिकों पर लागू की जाती है। इस प्रकार विधिशास्त्र का विधि की अन्वय या धुराई या नीतिगत विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इसका सम्बन्ध मात्र राजकीय विधियों तक ही सीमित रहा। आस्टीन ने स्वयं भी लिखा है कि विधिशास्त्र की यह अवधारणा नहीं कि वह उपयोगिता के अनुसार विधियों का अन्वय ही एव धुराई निर्धारित कर। विधिशास्त्र ही बतल सुस्पष्ट विधि या विधिगत विधि तक ही सीमित है। यह सत्य है कि विधिशास्त्र का वैधानिक भाग से ही सम्बन्ध है परन्तु यहाँ पर वैधानिक भाग से तात्पर्य उस भाग से है जिसे निम्नो न नियमों के प्रति वृत्तता की सजा दी है। अतएव इसी अर्थ में विधिशास्त्र का भाग का विधान बना जाता है। ऐतन् मन्त्र्य न भी कहा है कि विधिशास्त्र के द्वारा बचन देना के विधान का अन्वयन नहीं किया जा सकता यदि विधिशास्त्र के द्वारा सम्पूर्ण विधान का अध्ययन ही करना है। (पृ. १०१)

प्रश्न ४— विधिशास्त्र की परिभाषा नागरिक विधि से क्या जाना सकता है? इसका विवेचना कीजिये।

Q 4 We may define jurisprudence as the science of Civil Law' Discuss

उत्तर—साम्य में ये विधिशास्त्र का परिभाषा इन रूप कहते हैं कि विधिशास्त्र नागरिक विधि विज्ञान है। विज्ञान से तात्पर्य है मुख्यतः ज्ञान का अन्वय। विज्ञान से अन्वय साम्य महान्त्र्य का मह है कि कोई भा वैधानिक भाग करता। यहाँ में यहाँ कहा जा सकता है कि विधिशास्त्र नीतिगत भाग है, अतएव अतएव एक जय विज्ञान है जो कि दानशास्त्र इतिहास, अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विज्ञान है। पर कोई भी ज्ञान का आधार यदि वैधानिक भाग से अतएव विज्ञान

हुमा जिससे कि वह विज्ञान विनिर्गमक एक शिखर पर पहुँचा हो एसा ज्ञान विनाश कहलाता है ।

विज्ञान और कला मुख्यत अपने उद्देश्य में भिन्ना रहते हैं । Mill महोदय कहते हैं कि विज्ञान ही विधान का आधारभूत तत्व है कला के द्वारा उसकी मायता स्वीकार करनी पड़ती है ।

नागरिक विधि (Civil law) — नागरिक विधि का तात्पर्य सामन्ड के गण में एक देश का विधान कहलाता है । इसके ठीक उल्टे में यह भी कहा जा सकता है कि कुछ नियमों द्वारा विधान बनता है । विज्ञान सामन्ड पुन कहते हैं कि ऐसा विधान नागरिक विधि इसलिये कहलाता है कि उसका निर्माण राज्य द्वारा होता है । इसका नामकरण रोम के Jus civile से हुआ है ।

यह ध्यान देने योग्य है कि सामन्ड ने जानबूझ कर सुस्पष्ट विज्ञान (Positive law) का दण्ड हटा दिया है और नागरिक विधि को अपनाया है । उनका कहना है कि नागरिक विधि को गलत ढंग से सुस्पष्ट विधान का स्थान दे दिया गया है । सुस्पष्टतया Jus Positum का अर्थ अल्पमध्यवर्ती विधि शास्त्रियों ने किया है जिसका मतलब होता एसा विधान जो कि मानवीय शक्तियों द्वारा निर्मित हुआ हो जो कि ठीक उल्टा होता है प्राकृतिक विधान (Jus Naturale) का मुकाबले में । प्राकृतिक विधान अपने द्वारा पैदा होता है । सुस्पष्ट विधि का आधार प्राकृतिक विधान ही है । बिना इसके सुस्पष्ट विधि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता । अतः यह कहना कि सुस्पष्ट विधि प्राकृतिक विधि है, गलत होगा । सभी विधान सुस्पष्ट पर पूणतया प्राकृतिक नहीं अंतर्राष्ट्रीय विधान उदाहरण स्वरूप एक तरह से सुस्पष्ट विधि है जो कि नागरिक विधि से कम नहीं ।

अतः प्राकृतिक विधि अंतर्राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत नहीं आता । विधि शास्त्र नागरिक विधि विज्ञान है और अंतर्राष्ट्रीय विधान इसीलिये विधिशास्त्र के दायरे के बाहर की वस्तु हो जाती है । सामन्ड स्वयं कहते हैं कि परिभाषा में यह बान विरोधाभास नहीं है । बर रक्ती यदि कहा जाय कि नागरिक विधि अंतर्राष्ट्रीय विधान का अंग नहीं आता । नागरिक विधि का तात्पर्य यह है जिसका कि किसी वय अपने निदिन के काय में उसका प्रयोग करत हैं ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्यग्वादी (Positivists) वग अंतर्राष्ट्रीय विधान को कहते हैं कि यह विधान विधिशास्त्र का अंतर्गत नहीं आता अतः इसका आधार अंतर्राष्ट्रीय वग अंतर्राष्ट्रीय विधान को सुस्पष्ट विधि नहीं मानते ।

सामन्ड की नागरिक विधि का परिभाषा सुस्पष्ट विधि मिश्रित परिभाषा

स स्पष्टतर है। पर तु नागरिक विधि एवं सस्पष्ट विधि मामण्ड द्वारा खोजे हुए अंतर को हमारा स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखते हैं। अतः यह जानना कठिन है कि हम विधिशास्त्र के नियम कौन सा मान अपनाना।

प्रश्न ८—डा० हाल्लण्ड विधिशास्त्र को उन मानव सम्बन्धों जिन्हें कानूनी परिणाम का माध्यम प्राप्त है, के औपचारिक गारण कहता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं ?

Q 5 Dr Holland defines Jurisprudence as the formal science of those relations of mankind which are generally recognised as having legal consequences the Formal science of positive law. Do you agree with this view ?

उत्तर—यद्यपि गारण अथ विधिशास्त्र का विधान के जन स्रोत के पर वर्तमान युग में विधिशास्त्र विधान का विधान कहता है। हाल्लण्ड महाशय के अनुसार विधिशास्त्र स्पष्ट विधि का औपचारिक विधान है। इस परिभाषा का कई स्थलों में विमोजित करके अध्ययन किया जा सकता है।

औपचारिक (Formal)—हाल्लण्ड का कथना है कि विधिशास्त्र औपचारिक या विधानशास्त्रिक विधान है पाठ्य नहीं। यह विभिन्न देशों के विधानों का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह उन विधानों के रूप या बाह्य आकार मात्रका अध्ययन करता है। यह वास्तव में विभिन्न देशों के विधानों के पीछे छिपे हुए मूलभूत विचारों या सिद्धांतों का अध्ययन करता है। हाल्लण्ड ने इसी विचार को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिये कई उदाहरण दिये हैं। उन्होंने लिखा है कि विधिशास्त्र ऐसी विधियाँ का अध्ययन करता है जो विभिन्न देशों के विधानों में उभयनिष्ठ हान्ती हैं बल्कि यह उन विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन करता है जो वैधानिक नियमों द्वारा स्थापित होते हैं। हाल्लण्ड का कथना है—विधिशास्त्र उन वैधानिक नियमों का पाठ्य विधान नहीं जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच उभयनिष्ठ हैं बल्कि यह मानव जाति के विभिन्न सम्बन्धों का अध्ययन करने वाला औपचारिक विधान है जिनका वैधानिक परिणाम होता है। इस कारण हाल्लण्ड के विचार से विधिशास्त्र औपचारिक विधान है पाठ्य नहीं।

विज्ञान (Science)—हाल्लण्ड के विचार से विधिशास्त्र विज्ञान है कथना नहीं। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का समिक तथा व्यवस्थित ज्ञान। विधिशास्त्र विज्ञान इसीलिये कहा जाता है कि विधिशास्त्र एक समवेद ज्ञान की जाति के मानव विधि न देशों के विधानों के धारण सिद्धांत एवं धारणाओं को धरने पर तन्त्र शामिल करता है। इस कारण इस विज्ञान कहा जाता है। विधिशास्त्र केवल एक राष्ट्र के विधान तक ही सीमित नहीं रहता। Paton महाशय के

मतानुसार भी विधिशास्त्र सम्पूर्ण विधान का अध्ययन कराता है। Clark भी इस मत की पुष्टि करता है। Stammler क अनुसार भी विधिशास्त्र एक औपचारिक विधान है।

सुस्पष्ट विधि (Positive law)—सुस्पष्ट विधि से हालड का तात्पर्य उस विधि से है जो राज्य के स्वयत्ता सम्पन्न राजनैतिक प्रधान द्वारा अपने देश के नागरिकों के वाह्य कार्यों को संचालित करने के लिए लागू की जाता है। यहाँ पर हालड तथा आस्टीन के विचार बहुत साम्यता रखते हैं। विधिशास्त्र की विषय सामग्री को सुस्पष्ट विधि ही बताते हैं। परंतु हालड की परिभाषा आस्टीन की परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि हालड के नियम विधिशास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विधान है जब कि आस्टीन के लिए यह विधान मात्र ही है। हाब्स (Hobbes) ने सुस्पष्ट विधि को समझाते हुये लिखा है—सुस्पष्ट विधि आदि काल से नहीं है बल्कि यह उन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जिन्हें अथ पत्तियों पर प्रभुसत्ता प्राप्त है। हालड ने स्वयं लिखा है कि विधिशास्त्र का केवल मात्र सुस्पष्ट विधि से ही सम्बन्ध होता है। इसका नीति सम्बन्धी, सम्मान सम्बन्धी तथा पेशान सम्बन्धी नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

आलोचना—१—हालड की इस परिभाषा की बड़ी आलोचना की गई है। Prof Gray ने औपचारिक शास्त्र का कारण ही हालड की परिभाषा को सही एवं सुस्पष्ट बताया है। उनका कहना है कि विधिशास्त्र उतना ही औपचारिक विधान है जितना शरीरशास्त्र अधिक नहीं। जिस प्रकार अस्थियाँ, मांस पेशियाँ तथा स्नायु शरीरशास्त्र के अध्ययन के विषय होते हैं, उसी प्रकार विधान लागू पर नियंत्रण तथा तत्पन्न घटनायें विधिशास्त्र की विषय सामग्री होती हैं।

२—डाक्टर एडवर्ड जेक्सन भी औपचारिक शास्त्र पर हालड की परिभाषा की कटुआलोचना की है। उनका कहना है कि औपचारिक शास्त्र का प्रयोग करके हालड ने विधिशास्त्र के आकार पर अधिक जोर दिया है उसके विषय पर नहीं। उनका कहना है कि यह गलत है कि एक व्यापक विधि को केवल मात्र उसके आकार से ही जान सकता है क्योंकि आकार ही विभिन्न प्रकार के विषयों का दत्तन योग्य बनाता है परंतु जब किसी व्यापक विधि को आपरेण करने की मंत्र पर हमारा विधि का रूप मिलना है तो उसका महत्त्व ही हो जाता है कि वह उसकी धोरणों पर धोरणों के वास्तविक अर्थ को समझे। यह कहना कि विधिशास्त्र केवल मात्र आकार से ही सम्बन्धित है विधिशास्त्र का विधान के परंपरागत विचारों का परंपरागत विधान है।

३—प्रो० ब्रह्मसूत्र महोदय का कहना है कि शास्त्र तथा धर्मशास्त्रिक सम्बन्ध किंचित मात्र भी इतन माधारण एव इतन सुस्पष्ट नहीं है कि इनका अर्थ स वाइ तत्काल दार्शनिक श्रमवद्धता सहय समस्याओं का हल कर सके ।

४—प्रो० एन० का कहना है कि जब तक विधानों, नियमों एव उन तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता तब तक धर्मशास्त्र विधि का निर्माण किया गया है, तब तक विधि की पुण्यता पहचाना नहीं जा सकता । इतना ही नहीं विधिशास्त्र के प्रमुख विषयों का ढांचा भी नहीं बना दिया जा सकता । विधान की समस्त सामग्री से पृथक् स्वामित्व या सविना तर्क के ही सामान्य सिद्धांतों का बनाना का प्रयत्न करना ठीक उभा प्रकार होगा, जिस प्रकार दूधन व बिना हा नहीं बरतू मिट्टी व हा बिना ईंटों का बनाना का प्रयत्न करना ।

डा० हार्नेट के धर्मशास्त्रिक ज्ञान से तात्पर्य यह था कि विधिशास्त्र केवल मात्र वैधानिक प्रणाली के अर्थों, पद्धतियों तथा विचारों का अध्ययन करना है वैधानिक प्रणाली के स्थूल तथ्यों का नहीं । यदि हम अर्थ धर्मशास्त्रों के अर्थ विचार का मानें कि विधिशास्त्र धर्मशास्त्रिक नहीं बल्कि स्थूल ज्ञान है तो हम निश्चय ही स विमुक्त हो जायेंगे । यदि वास्तविक विभिन्न वस्तुओं के अर्थ एव अर्थ ही सूत्रों के अर्थ एव अर्थ के एक अर्थ पर अर्थ होता है तो उन स्थूल तथ्यों के अर्थ का अध्ययन नहीं कहा जा सकता । धर्मशास्त्र की रचना उस समय होगी जब इन स्थूल तथ्यों में कुछ धर्मशास्त्रिक सिद्धांत निकाल कर सप्रमाण किया जायें तबसे यह जाना जा कि वस्तु के अर्थ में अर्थ का अर्थ किस प्रकार होता है । अर्थ प्रकार विधिशास्त्र भी वैधानिक प्रणाली के अर्थ ही धर्मशास्त्रिक सिद्धांतों का अध्ययन करना है उन सिद्धांतों की रचना करने वाले स्थूल तथ्यों का नहीं ।

अर्थ ६—सामान्य विधि शास्त्र (General jurisprudence) एव निश्चित विधिशास्त्र (Specific jurisprudence) में अर्थ का अर्थ समान है ।

Q 6 What do the phrases Jurisprudence in its generic sense and Jurisprudence in its specific sense mean ?

अर्थ—सामान्य विधिशास्त्र एव निश्चित विधिशास्त्र में अर्थ—
(Jurisprudence in generic specific sense) - प्रो० सामान्य न सामान्य विधिशास्त्र एव निश्चित विधिशास्त्र में अर्थ बननाया है । सामान्य विधिशास्त्र सामान्य वैधानिक सिद्धांत के अर्थ में बननाया है जो निश्चित विधिशास्त्र एक निश्चित विधि का अर्थ अर्थ करता है ।

यदि एक ही सामान्य विधिशास्त्र या वैधानिक विधिशास्त्र कहा जायें तो दूसरा वैधानिक या सामान्य विधिशास्त्र कहा जायेंगा । सामान्य के अर्थों में —

It is called theoretical jurisprudence as being concerned with the theory of the law—that is to say, its fundamental principles and conceptions rather than its practical and concrete details. It is also and for the same reason known as general jurisprudence.

(क्याकि यह विधि के मौनिक सिद्धांतों एवं धारणाओं से सम्बंधित है वजाय उसके प्रयोगिक एवं दृष्ट रूप से सम्बंधित होने के कारण उस सामान्य विधिशास्त्र या सिद्धांतिक विधिशास्त्र कहा जाता है।

यह भी कहना गलत न होगा कि सामान्य विधिशास्त्र की धारणा सामान्य के मत में भ्रमपूर्ण है। सामान्य महोपाय कहते हैं कि सामान्य विधिशास्त्र मात्र वैधानिक सिद्धांतों का अध्ययन ही नहीं है बल्कि एक विशेष वैधानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना है।

Jurisprudence in general is not the study of legal systems in general but the study of the general fundamental elements of a particular legal system.

प्रश्न ७—विधिशास्त्र का वर्गीकरण आस्टीन के मत से 'सामान्य एवं विशिष्ट (General and Particular)'के दो भागों में हो सकता है। हाल्ड और सामएड के मत से कहा तक तक सहमत है इस पर एक टिप्पणी लिखिये।

Q 7 Austin divides Jurisprudence into General and Particular. To what extent Salmond and Holland agree with this division?

उत्तर—आस्टीन विधिशास्त्र का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं १—सामान्य विधिशास्त्र २—विशिष्ट विधिशास्त्र।

सामान्य विधिशास्त्र (General Jurisprudence)—सामान्य विधिशास्त्र से तात्पर्य है सुस्पष्ट विधियों, किसी स्थान विशेष के विधान से नहीं। यह विज्ञान वह विधान है जो कि भिन्न भिन्न समाजों से लिया जाता है। यह प्रकृति में सृष्टिगत है और भिन्न भिन्न विधानों का समन्वय अतः यह सृष्टिगत विधिशास्त्र भी कहना है।

विशिष्ट विधिशास्त्र—(Particular Jurisprudence)—विशिष्ट विधिशास्त्र वह विधान है जो कि एक विधान विशेष का अध्ययन करता है चाहे वह वर्तमान ज्ञान का हो चाहे भूतकाल का। इसका क्षेत्र बवल एक राष्ट्र विशेष तक ही सीमित है इसलिए हमको राष्ट्रीय विधिशास्त्र भी कहते हैं। सामान्य विधिशास्त्र का क्षेत्र विशिष्ट विधिशास्त्र के क्षेत्र से विस्तृत है।

सामान्य विधिशास्त्र एक सावभौमिक विधिशास्त्र है जब कि विधिशास्त्र विधि शास्त्र एक ही दंग में सामिल रहने वाला सकील विधिशास्त्र ही है सामान्य विधिशास्त्र के लिए प्रास्टीन न कहा है कि यह सुस्पष्ट विधि का दंगन है। यहाँ पर दंगन से उनका तात्पर्य वैधानिक अध्ययन से है। परन्तु वेस ही विधिशास्त्र किसी एक वैधानिक व्यवस्था से अध्ययन सभ्यों को एकत्रित करना एवं उनको पीछे छिप सिद्धान्तों की विवचना करता है वेस ह्या वह विधिशास्त्र ही जाता है। साम्नीन ने लिखा है कि विधिशास्त्र किसी वास्तविक वैधानिक व्यवस्था का या इसक किसी भाग का विधान है। बचन मात्र 'सावभौमिक विधिशास्त्र ही विधिशास्त्र होता है।

प्रास्टीन के इस विभाजन की बहुत से विधिशास्त्रियों ने बड़ी प्रशंसा की है। इन प्रशंसकों में प्रमुख डा० हार्नेट तथा डा० साम्नीन हैं।

प्रो० साम्नीन ने प्रास्टीन के इस विभाजन की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह जल्द गमल है कि सामान्य विधिशास्त्र का तात्पर्य सभी दंगों की वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाये जाने वाले सिद्धान्तों का विवचन करना है किसी एक दंग की वैधानिक व्यवस्था के सिद्धान्तों का विवचन करना नहीं। यह मत है कि सामान्य विधिशास्त्र उन सिद्धान्तों का वर्णन करता है जो विभिन्न परिपक्व वैधानिक व्यवस्थाओं में अनशुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं परन्तु यह बाद सिद्धान्त सभार की विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं में प्राप्त हैं, तो इनमें से भी वह सिद्धान्त विधिशास्त्र की विषय-सामग्री नहीं हो जाता। इस विपरीत यदि किसी सिद्धान्त की केवल एक ही दंग की वैधानिक व्यवस्था स्वीकार करती है तब भी वह अपनी महत्ता के अनुसार विधिशास्त्र की विषय सामग्री हो सकता है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड के पूर्ववर्ती निर्णय (Judicial Precedents) जो केवल इंग्लैंड ही में मान्य होते हैं, विधिशास्त्र की विषय सामग्री होते हैं। इस प्रकार इंग्लैंड के विचार से सामान्य विधिशास्त्र सावभौमिक वैधानिक सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं करन् किसी वैधानिक व्यवस्था के मूल भूत एवं सामान्य सिद्धान्तों का अध्ययन है।

डा० हार्नेट का कहना है कि प्रास्टीन ने विधिशास्त्र की विधिशास्त्र इस कारण बताया है क्योंकि इसकी विषय सामग्री विधिशास्त्र है इस कारण विधिशास्त्र नहीं कि यह विधिशास्त्र विधान है। यह अवश्य सम्भव है कि विधि के शास्त्र को केवल एक ही वैधानिक व्यवस्था तक सीमित रखा जाय परन्तु किसी शास्त्र को अधिक गहनता प्रदान करने के लिए, इसके निर्णयों को साम्नीय प्रमाण करने के लिए इस विधान को अधिक गुरुत्व प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि वैधानिक अधिक विस्तृत सत्र से अध्ययन सभ्यों को एकत्रित करें और तब अपने निर्णयों

पर पहुँचे। यह द्विवृत क्षत्र यदि सम्पूर्ण ससार तक फैला हो तो भ्रष्टा ही है।

हालड की आलोचना अच्छी नहीं रही। पोह्ला (Puchta) का कहना है कि विधि की रचना में होने वाला विकास मानव विज्ञान के उस विकास से सम्बन्धित रहता है जो वह विधि न वस्तुओं को देखकर प्राप्त करता है और इस कारण भाषा की भाँति विधि में भी प्राचीनता के अनुसार भेद बना रहता है।

मेटनड का कहना है कि किसी भी देश की जनता तथा राष्ट्र एक ही समय पर एक ही माँग से नहीं गुजरते। (Bryce) का कहना है कि किसी भी देश की ौधानिक व्यवस्था उस देश की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होती है साथ ही साथ इन परिस्थितियों का समाधान करने के लिए उस देश की बौद्धिक क्षमता की अभिवृत्ति भी ौधानिक व्यवस्था को प्रभावित करती है।

वैज्ञानिक व्यवस्था में अंतर आ जाने के कारण यह आवश्यक है कि विशिष्ट विधिशास्त्र का अध्ययन किया जाये। परन्तु क्योंकि विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस कारण यह विभाजन करना उचित नहीं है। इसे केवल विधि शास्त्र के ही रूप में रहने दिया जाये।

ौधानिक व्यवस्था में अंतर आ जाने के कारण यह आवश्यक है कि विशिष्ट विधिशास्त्र का अध्ययन किया जाये। परन्तु क्योंकि विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस कारण यह विभाजन करना उचित नहीं है। इसे केवल विधिशास्त्र के ही रूप में रहने दिया जाये।

प्रश्न ८--आप व्याख्यात्मक (Expository) एवं निष्ठात्मक (Censorial) विधि से क्या समझते हैं ?

Q 8 What do you understand by Expository and Censorial Jurisprudence ?

व्यवस्था में विधिशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है—व्याख्यात्मक तथा निष्ठात्मक। व्याख्यात्मक विधिशास्त्र उस देश का तात्पर्य उस विधिशास्त्र से है जो यह बताये कि विधि क्या है। निष्ठात्मक विधिशास्त्र यह बताता है कि विधि केमो हानी चाहिये। व्यवस्था में व्याख्यात्मक विधिशास्त्र को प्राधिकृत (Authoritative) तथा अप्राधिकृत (unauthoritative) दो भागों में विभाजित किया है—प्राधिकृत व्याख्यात्मक विधिशास्त्र विधान मन्त्र से अपनी सत्ता प्राप्त करता है तथा अप्राधिकृत व्याख्यात्मक विधिशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों से अप्राधिकृत व्याख्यात्मक विधिशास्त्र के आगे दो भागों में बाँटा जा सकता है—

स्थानीय तथा सावभौमिक। पहले म किसी एक देश की विधि से ही सम्बन्धित पण्डितों के सम्मिलित हैं तथा दूसरे म सावभौमिक विधि शास्त्र से सम्बन्धित पुस्तकों अर्थात् दूसरे म किसी एक देश की विधि की पण्डित पुस्तकों की ही सम्मिलित नहीं किया जाता है। हालट ने अपनी पुस्तक *The Elements of Jurisprudence* क पृष्ठ ५ म लिखा है कि वर्तमान विधि की व्याख्या करना विधि क विज्ञान से विस्तृत भिन्न है। वर्तमान विधि की इस दृष्टि से ध्यानोचना करना कि उसमें सुधार हो सके विधिशास्त्र का काम नहीं बल्कि विधायन कला (*Art of Legislation*) का काम है। अतएव विधि शास्त्र को इस प्रकार से किसी भी विनोदण के साथ सम्बन्धित नहीं करना चाहिए।

Dr Salmond ने वास्तविक विधि को कानून वा विज्ञान (*Science of legislation*) कहा है।

प्रश्न ९—क्या अंग्रेज (*English*) एवं विदेशिक (*Foreign*) विधि शास्त्र में अंतर है ?

Q 9 Is there any difference between English and Foreign Jurisprudence ?

उत्तर—इन दोनों विधिशास्त्रों के अर्थ का सामंजस्य न बरतते हुए स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्हें इन्होंने क विधान विचार। (य साहित्य म योग्य के अर्थ देश क विधानिक विचार) एवं साहित्य की अर्थशास्त्र बहुत भेद दिखाई दिया। प्रमुखतम भेद विधानिक शास्त्रों म मिला। उहीँ दखा कि विधि (*Law*) का अर्थ कानून भाषा म अर्थ होता है केवल मात्र विधि पर तु फल ही तथा कानून भाषाओं म विधि अधिकार या अर्थ म कोई भेद नहीं किया जाता। इस प्रकार लॉ के अर्थ *Jus* का भी विधि की अर्थशास्त्र अर्थ होता है। अंग्रेज भाषा क 'law' का अर्थ कानून किन्ती वह अर्थों विवेचन क बदल एक ही अर्थ म अधिकार किया जा सकता है जब कि उपयुक्त रूप में क साथ यह स्पष्ट करना रहता है कि इसका तात्पर्य विधि से है अधिकार से है या अर्थ से। क्योंकि इन दोनों क अर्थ उनमें वही एक ही अर्थ है, तथा अंग्रेजी भाषा अर्थशास्त्र अर्थों की अर्थशास्त्र है क्योंकि अर्थों की अर्थशास्त्र के अर्थ हम उनमें अर्थशास्त्र अर्थों को भूम जानें हैं। सामंजस्य ने स्वयं भी लिखा है कि महा अर्थशास्त्र म विधि तथा अधिकार का अर्थ दिया रहता है जब कि अंग्रेज भाषा म दोनों का अर्थ दिया रहता है।

इसी कारण नतीज विधिशास्त्र की अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के

को रूत और भी होने हैं—१ विश्लेषणात्मक तथा २ ऐतिहासिक इसके विपरीत महाद्वीपीय विधिशास्त्र का केवल नैतिक विधिशास्त्रीय रूप ही होता है।

Dr Salmond के अनुसार नीतिशास्त्र का यह स्वभाव होता है कि वह प्रयात्मता न Metaphysics की ओर मुड़ती है। इसी तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योरोपीय विधिशास्त्र आध्यात्मिक विधिशास्त्र भी होता है। परन्तु प्राग् विधिशास्त्र आध्यात्मिक नहीं होता।

अतः में दोनों प्रकार के विधिशास्त्रों में यह भी अंतर किया जा सकता है कि प्राग् विधिशास्त्र का गार्हस्थ्य अथ सद्भाषितक या सामान्य विधिशास्त्र से होता है, प्रवर्तमान विधिशास्त्र बर्तमानिक सिद्धांतों की केवल एक मान्यता होती है। जब कि जर्मन साहित्य में विधिशास्त्र का तात्पर्य समस्त बर्तमानिक ज्ञान से होता है और फ्रांसीसी साहित्य में इसका तात्पर्य न्यायिक पूर्वोक्तियों (Judicial Precedents) से होता है।

प्रश्न १०—विधिशास्त्र की अथवा पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं (Schools of jurisprudence) ?

या

सामान्य अथवा विशेष विधिशास्त्र विशेष रूप से विधान का सिद्धांत या दर्शन हेतु तीन भागों में विधिशास्त्र ऐतिहासिक एवं नैतिक अध्ययन पद्धतियों में विभाजित किया जा सकता है।

Q 10 What are the various schools of Jurisprudence ?

or

Jurisprudence in its specific sense as the theory or philosophy of law is divisible into three branches which may be distinguished as Analytical Historical and Ethical (Salmond) Discuss

उत्तर—डा. सामान्य विधिशास्त्र को सम्पूर्ण वैधानिक सिद्धांत कहकर बताया है और निम्न विधिशास्त्र के बारे में कहा है कि यह शास्त्र केवल एक विधान विधान के बारे में अध्ययन करना है। निष्पत्ति विधिशास्त्र (Specific jurisprudence) का तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) विश्लेषणात्मक अथवा पद्धति (२) ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति एवं (३) नैतिक अध्ययन पद्धति। यह विधान मुख्यतः विधान के इतिहास विधान का इतिहास एवं विधान के उत्पत्ति के बारे में ही बतलाता है। विधान का अध्ययन

केवल निरु विधान की भूमिका है अतः यहाँ भी उपरोक्त तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। विरचनशास्त्रक अथवा पद्धति व्यवस्थित रूप से विधान का एक दार्शनिक या सामान्य भाग है ऐतिहासिक पद्धति ऐतिहासिक विधान का सामान्य या दार्शनिक भाग है और नतीज अथवा अन्तर्गत विधि विधान का सामान्य दार्शनिक भाग है।

विधान के ये तीन दृष्टिकोण हैं (१) उदात्त (Dogmatic) (२) ऐतिहासिक (Historical) एवं (३) नैतिक या दार्शनिक (Ethical) उपरोक्त तीनों दृष्टिकोणों की मूर्ति अलग कर दिया जायता तो भी विधान अर्थ में पूर्ण नहीं होगा।

(अ) विरचनशास्त्रक विधिशास्त्र --(Analytical jurisprudence) विरचनशास्त्रक विधिशास्त्र जिसे सामण्ड ने प्रथम विधिशास्त्र भी कहा है विधि का अर्थ क्या है अथवा क्या है जो वास्तव में विद्यमान है। यह विधि की विषय सामग्री एवं विधि के मूल नियमों का विश्लेषण करना है और इस प्रकार विधि शास्त्र का विषय मूल सिद्धांतों की खोज करता है और उनके अन्वय का अध्ययन करता है। इसका कार्य विधि का उद्देश्य या विधान का इतिहास का या विधि की उत्पत्ति का अथवा भौतिकता अथवा विधि की मूल मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। हम लागू कई तत्वों एवं प्रारम्भिक सिद्धांतों का अध्ययन निम्नलिखित बातों में करते हैं—(क) राज्य, प्रमुखता एवं या (ख) विधायन प्रणाली एवं रीति रिवाज (ग) धर्मशास्त्र एवं अथवा (घ) अधिकार, अन्वय तथा शक्ति (च) एवं शासक।

सामण्ड महाशय कहते हैं कि विरचनशास्त्रक विधिशास्त्र सामान्य या दार्शनिक गुणवत् विधान है। विधान का तात्पर्य सामण्ड के विचार से यह है कि अन्वय अथवा मूलभूत बातों के विधानों का अर्थ अथवा अन्वय।

विरचनशास्त्रक अथवा अन्वय पद्धति का अर्थ अथवा अन्वय न ही विरचनशास्त्रक अथवा अन्वय पद्धति की नींव डालने में डाली। विरचनशास्त्रक Austin का अनुसार विधि की प्रकृति या अर्थ ऐतिहासिक तत्वा पर नहीं आधारित है बल्कि प्रमुखता का अर्थ पर आधारित है। इस अन्वय पद्धति में ऐतिहासिक प्रकृति का अन्वय नहीं किया जाता है। इस कारण विधि का अर्थ एवं अर्थ को प्रकृति नहीं दाया जा सकती है। इस कारण इस पद्धति का विनाश हुआ तथा ऐतिहासिक पद्धति का उद्देश्य।

इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया कि राष्ट्रीय विधि की अन्वय विधियों का आधार होती है। इससे कहा कि विधि अन्वय

से बनी है। इनका यह भी कहना है कि एक उच्चतर सिद्धान्त होता है और प्रत्येक विधि के औचित्य को उस उच्चतर सिद्धान्त के अनुसार माना जाना चाहिए। यह उच्चतर सिद्धान्त यक्ति उपयोगितावाद ही है। जान आस्टिन के विचार से किसी राजनीतिक रूप से संगठित स्वतंत्र समाज में उस समाज के प्रभुवत्ता सम्पन्न प्रधान द्वारा अन्य अधीनस्थ यक्तियों के कार्यों को संचालित करने के लिये उन अधीनस्थ यक्तियों पर लागू किये जाने वाले आदेश विधि होते हैं।

(ब) ऐतिहासिक विधिशास्त्र (Historical Jurisprudence) ऐतिहासिक विधिशास्त्र अध्ययन पद्धति जिसे कभी कभी सामान्य विधिशास्त्र भी कहा जाता है के अन्तर्गत विधि को समय की देन माना जाता है की विधि की उत्पत्ति तथा प्रगति का अध्ययन उन सिद्धान्तों को संकेत करके किया जा सकता है जो समय के साथ साथ विधि की प्रगति में सहायक रहें हैं। समाज के शुरुआत में ऐतिहासिक विधिशास्त्र वैधानिक इतिहास के सामान्य एवं दार्शनिक तथ्यों का एक भाग रहा है। वैधानिक इतिहास का उद्देश्य ऐतिहासिक नियम तथा पद्धति का अध्ययन करना है।

जो० सी० ग्री के अनुसार ऐतिहासिक विधिशास्त्र विधि के उन रूपांशों तथा उन अंगों का अध्ययन करता है जो विधि की प्रगति की विभिन्न शरणियों से गुजरते हैं। यह विधि के प्रारम्भिक विचारों तथा नव न विचारों को एक सूत्र में बांधकर सम्बन्धित करता है। यह सामाजिक रीति रिवाजों तथा उनकी वृद्धि का भी अवलोकन करता है। यह उन वैधानिक धारणाओं या विचारों की खोज करता है जो विश्व के वैधानिक नियमों में उभरने लगे हैं। इस प्रकार Jus naturae, Jus gentium तथा रीति रिवाज सम्बन्धी विधि का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय विधिनियम नागरिक विधि पर क्या पड़ता है इसका समुचित अध्ययन ऐतिहासिक विधिशास्त्र करता है।

ऐतिहासिक विधिशास्त्र विवेचनात्मक विधिशास्त्र से इस अर्थ में भिन्न है कि विवेचनात्मक विधिशास्त्र के अनुसार विधि तर्क या कारण द्वारा उत्पन्न होता है तथा ऐतिहासिक विधिशास्त्र के अनुसार विधि समय की आवश्यकताओं तथा ऐतिहासिक आन्दोलनों और भावों का परिणाम है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक विधिशास्त्र के अनुसार कानून पाया गया है (law is found) तथा विवेचनात्मक विधिशास्त्र के अनुसार कानून बनाया गया है। एक के अनुसार यह रीति रिवाजों में पाया गया है तथा दूसरे के अनुसार यह अधिनियम के रूप में बनाया गया है।

Savigny १८ वीं शताब्दी का महान विधिशास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा का महत्त्व माना जाता है। उनके अनुसार रीति रिवाज निश्चय कानून के विहित

हैं। विधि की वृद्धि कानूनी महारक्षियों द्वारा हुई है इस धारणा को समाधान के लिए सविगनी (Savigny) का कथन है कि य महारथा जनता में से ही है। य भी समाज के अंग है।

अमेरिका में जेम्स कार्टर (James Coodlidge Carter) की ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का वृद्धि के लिए अर्थ दिया जाता है। उन्हें कानूनी नियमों के लिये ऐतिहासिक विचारों की महानता का प्रबल विश्वास था। अपनी पुस्तक *Law its origin growth and Function* में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कानून प्राचीन कालों से बनाया जाता है परन्तु इस कालों द्वारा बनाया या खटित भा किया जा सकता है। *Law not only can not be made by human action but can not be alrogated or changed by such action*

ऐतिहासिक विधिशास्त्र पद्धति के गुण एवं दोष—इस पद्धति में ऐतिहासिक विचारों का प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसमें खास कमा यह है कि इसके अन्तर्गत भूत काल का वर्तमान काल तथा भविष्य काल से अर्थिक महत्व दिया जाता है। विधि के लिए ऐतिहासिक प्रतिरूप विधिशास्त्र के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है परन्तु कथन यही एक प्रतिरूप नहीं है।

(ग) नैतिक विधिशास्त्र (Ethical Jurisprudence)—नैतिक विधिशास्त्र जिस कभी कभी दार्शनिक विधिशास्त्र भी कहा जाता है विधि के नैतिक आधार का अध्ययन करता है। यह कानून का निरीक्षण उसकी अन्तर्गत तथा नैतिकता के दृष्टिकोण से करता है। इस धारणा के अनुसार कानून को नैतिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है।

डाक्टर सामरट के मतानुसार नैतिक विधिशास्त्र विधि विज्ञान का सामान्य एवं दार्शनिक भाग है जहाँ पर कानून का विज्ञान कानून का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करता है कि कानून क्या होना चाहिए न कि क्या है या क्या था। (not as it is or has been but as it ought to be) उनका यह भी कहना है कि नैतिक विधिशास्त्र दार्शनिक नियमों के मानसिक तर्कों से या इससे ऐतिहासिक वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि उनका मोक्षार्थ उद्देश्य से नियमों के लिए यह बना है और तरीके या अर्थों की विधि विचारों द्वारा अर्थ उद्देश्य का पूर्ण हानो है जेना कि वैधानिक नियमों का उद्देश्य है नियम को वापस रखना है नैतिक विधिशास्त्र वापस के विचारों का तथा उनका कानूनी सम्बन्धों से ही सम्बन्धित है।

ह्यूगो ग्रीटियन (Hugo Grotius) का मत है कि विधिशास्त्र का सिद्धांत माना जा सकता है। उनके लिए प्राकृतिक विधि उचित तर्क की धारणा है या इस धारणा का

संकेत करता है कि यदि कोई अधिनियम प्रवृत्ति विवेक के अनुकूल है तो इसमें नैतिक आधार या नैतिक आवश्यकता का गुण है।

हेगल (Hegel) दार्शनिक विधिशास्त्र के दूसरे शाखा का कहना है कि वैधानिक नियमों का उद्देश्य समाज के संधप करने वाले विचारों का सम वय करना है। गीनिंग क अनुसार Law is the means by which the individual will is harmonised with the general will or the community (कानून वह मोक्ष है जिसके द्वारा व्यक्तिगत व छाया या सिद्धांतों का सामूहिक विचारों या सिद्धांतों से सतुलित किया जाता है)। यदि नैतिकता व्यक्तिगत इच्छाओं को सामूहिक इच्छाओं से मिलाती करती है तो कानून इसके विपरीत दिशा में जाकर एसा करता है। इस प्रकार नैतिकता तथा कानून एक दूसरे से अत म सहमय होने की क्षमता रखते हैं सामूहिक क गृह्यो में नैतिक विधिशास्त्र नैतिक दार्शनिक तथा नैतिकता का मिलन बिन्दु है और इनका आधार एक ही है।

नैतिक विधिशास्त्र धारणा के गुण और दोष (Merits and demerits of Ethical Jurisprudence) — यह शास्त्र कानून के आधार तथा उद्देश्य का विवेचन करता है परन्तु ये भावात्मक सिद्धांत हैं जो योगवाद से अलग हैं। यह विधि के भूत और वर्तमान की कीमत पर विधि के भविष्य पर जोर देता है। Lord Bryce का दृष्टिकोण उचित है कि जब तक दार्शनिक विधिशास्त्र विधि की समझ में सहायता नहीं करता है यह कम उपयोगी होगा।

निष्कर्ष (Conclusion) — यह निरसदह कहा जा सकता है कि विवेचनात्मक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति नैतिक पद्धति तथा सामाजिक पद्धति आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। भारतवर्ष में ये पद्धतियाँ भिन्न भिन्न क्षणों में विधिशास्त्र विज्ञान की एक ही शाखा हैं। एक पद्धति का दूसरी पद्धति से अलग करके पुरा अध्ययन करना यदि असम्भव नहीं है तो कठिन तथा निरर्थक प्रयत्न है।

प्रश्न ११(म) — सामाजिक विधिशास्त्र (ब) नैतिक विधिशास्त्र अध्ययन पद्धति (स) तुलनात्मक विधिशास्त्र की व्याख्या कीजिए

Q 11 Explain — (a) Sociological School of Jurisprudence (b) Ethical school of jurisprudence (c) Comparative School of Jurisprudence

(म) सामाजिक विधिशास्त्र (Sociological Jurisprudence) एक पद्धति के अनुसार विधान एक सामाजिक विज्ञान है। विधि वास्तव में एकाकी व्यक्ति से सविधान नहीं हानों वरन् समाज में रहने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित होती है कि उनका अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। यह विधान विभिन्न सामाजिक वर्गों के

सामाजिक उद्देश्य के हनु निमित्त हुआ है। यह विधि के सामाजिक पहलू से सम्बन्धित है। भिन्न भिन्न सामाजिक सगटना का अध्ययन उत्तम अस्तित्वित सामाजिक भूतकाल या वर्तमान काल की विधियों का उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जाना है।

विधिशास्त्र के समाजशास्त्रीय पक्ष पर दृष्टिपात करते हुए सामरस ने लिखा है कि यद्यपि विधिशास्त्र तथा समाजशास्त्र में बहुत अंतर है फिर भी दोनों में बहुत कुछ तादात्म्य भी है। उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है कि समुक्त विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समुक्त विधि पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्रा यह भी अध्ययन करता है कि समुक्त विधि समाज में किस सीमा तक मानो जाती और वहाँ तक यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल है।

इसके विभिन्न सिद्धांत अपराध की जल्द अपराधिया का व्यवहार और अपराधियों पर भिन्न भिन्न दंड का अंतर यह सब बातें हम इस पद्धति के अन्तर् अध्ययन करते हैं।

C V Allen मन्वीय कहते हैं कि सम्पूर्ण सामाजिक पद्धति एक तरह से विधान की धार्मिक कल्पना के विस्तृत एक चतुर्तीती सी है क्योंकि विधान में राज्य का एकाधिकार ने निश्चय होता है।

Eugen Ehrlich मन्वीय कहते हैं कि वर्तमान युग में या और किसी युग में विधान का विकास विषयगत, विधि विज्ञान या धार्मिक नियम से निहित नहीं रहा है बल्कि समाज में रहा है। अतः विधान का निर्माण समाज की आवश्यकताओं के अनुसार होता है।

अतः हम क्या जा सकते हैं सामाजिक आवश्यकताओं ने ही विधान को जन्म दिया अतः विधान निर्माण के समय सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

माएटेस्करू को इन पद्धतियों के प्रवर्तकों में टीका ही कहा गया है। उन्होंने ही सबसे पहली बार यह बताया कि सामाजिक आवश्यकताओं का विधि एवं धार्मिक संस्थाओं के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपनी पुस्तक *The Spirit of Law* में यह लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की विधि के उग राष्ट्र के संरक्षण के अनुसार निर्धारित करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की विधि उग राष्ट्र की जनता, मिष्टी स्थिति, विस्तार, लोगों के व्यवसाय धार्मिक संस्थानों तथा रीति रिवाजों पर आधारित जानी है।

निधोन दुगो—Leon Duguit—एक विचार से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। इसके विरुद्ध यह है कि यह समाज में रहे क्योंकि समाज से बाहर

रूकर य० एकाकी जीवन नहीं मनीत कर सकता है। विधि का मत यह है कि वह समाज में याप की स्वाधारा करे। दुग्धी ने य० तक कहा है कि यदि सरकार समाज में याप स्थापित करने के उद्देश्य से त्रिमुख होकर किसी विधि का निर्माण करती है तो उस राज्य की जनता को यह अधिकार होगा कि वह उसका विरोध करे। जनता की सेवा करना ही राज्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।

रुशोपाउण्ड (Roscoe Pound) भा विधान का सामाजिक पद्धति मानते हैं। ग्रामी पुस्तक Interpretation of Legal History में वे कहते हैं कि विधान नाए एव अनुभव का प्रादुर्भाव है जिसके सहायता से सामाजिक कायन में चलता है। वे उपर्युक्त पद्धति के निम्नलिखित लक्षण बताते हैं—अधिकार रूप में विधि का वास्तविक कारण होता है जिनको विधि प्राप्त कर चुकी है। यह एक प्रकार का धारा है जो विधि के आधुनिक एव भूतकालिक रूपों को मिलाता है और यह विधि के वर्तमान एव भूतकालीन रूपों के बीच आधुनिक व्यवस्थाओं को हटाकर एक लचीली स्वीच देता है। यह विधिशास्त्र समुदाय में प्रचलित प्रथाओं को लेकर उनके विकास को खोज करता है। यह उन मूलभूत वैधानिक धारणाओं का उत्पत्ति की भी खोज करता है जो कि सत्ता की विधि व्यवस्था का गणन कर चुकी है। यह उन धारणाओं को जम देने वाली परिस्थितियों की भी विवेचना करता है उनका विकास का भी रिकार्ड करता है और विभिन्न अवस्थाओं में उनका प्रभावित करने वाला गतिमा का भी वर्णन करता है।

विधिशास्त्र के समय की ऐतिहासिक पद्धति विशेषणों के पद्धति से पूर्णतया भिन्न है। यह पद्धति विधि के साथ उसी समय से प्रपना संबंध स्थापित करती है जब से विधि का जन्म होता है और विधि के विकास के साथ ही साथ यह आगे बढ़ती रहती है। इसका दृष्टिकोण अनुदर्शी (Retrospective) होता है। यह विधि का वास्तविक कारण तक खोज कर समाज की विभिन्न प्रथाओं में गतिमा का परिणाम मानती है।

सेविना (Savigny) ऐतिहासिक समय पद्धति के समर्थक माने जाते हैं। उनका मतानुसार विधि का जन्म भाषा एव व्यवहार के द्विधा के साथ उस देश का विधि का विकास होता है और इनके अनुसार व्यवहार मुम्पट विधि का विज्ञान है। यह कहना कि विधान का विकास वैधानिक अनुभवों द्वारा हुआ है यही मूल्य कहना है कि ये अनुभवों गण स्वयं जनता में से एक होता है।

अमेरिका में ऐतिहासिक पद्धति के विकास का प्रेरक जन्म जेम्स कार्टर (James Coolidge Carter) को है। यह विधान के विरोधी थे और उन्होंने विधि का प्रवर्तन में विचार करत थे। इनका विचार से विधि समाज की समकालीन। यह वास्तव में ऐतिहासिक विधिशास्त्रियों के इस विचार के पूर्ण

समयक य कि विधि मानव कार्यो स केवन मात्र निर्मित हा नही, वरन् मानव कार्यो स यह स्वहित या परिवर्तित भी नही की जा सकती। इसलिये इनका विचार या कि विधि शास्त्र क प्रथम तत्व न हो ।

गुण एवं प्रवृत्त (Merit and Demerits)—नैतिक विधि में तत्काल विधियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सबसे बड़ा दुष्प्रणालन पद्धति में यह था कि ये विधि भूतकालिक तत्त्वों पर अधिक जोर देता था वनमान या भविष्य में कम। ऐतिहासिक विधि एक महत्त्वपूर्ण स्थान विधान में प्राप्त कर सकता है।

(क) नैतिक विधिशास्त्र (Ethical jurisprudence)—यह विधिशास्त्र विधि का शास्त्र रूप का निर्धारित करता है। यह वास्तव में अर्थ की स्थापना एवं अर्थ के नैतिक एवं आर्थिक रूप का विवरण करता है। यह माप ही माप विधिक नैतिक आधार का विश्लेषण करता है और बनाना है कि विधि की हित उद्देश्यों को पूरा करना है। सामान्य महादय करने है कि नैतिक विधिशास्त्र विधानन विधान का एक अंग है। विधान जहाँ विधानन विधान का अभ्ययन करता है वहाँ उसका तात्पर्य होता है कि विधान बना हाना चाहिए यह नहीं कि विधान बना है।

यह न तो नैतिक व्यवस्था का बौद्धिक तत्त्वों से सम्बन्धित होता है और न इसका वैधानिक विकास से भी वरन् इसका सम्बन्ध अर्थ मात्र अपने उद्देश्य एवं इन उद्देश्य का प्राप्ति के लिए अर्थवादी जान वाले साधन से ही होता है। विधि का उद्देश्य अर्थ की नैतिक प्रतिष्ठा के द्वारा किसी निश्चित राजनीतिक अनुष्ठान में अर्थ का स्थापना करना है। इसलिये हम कह सकते हैं कि नैतिक विधिशास्त्र का सम्बन्ध अर्थ के सिद्धांत से सम्बन्धित विधि से है।

अथवा अर्थशास्त्र शास्त्रिक विधिशास्त्र का अर्थ है। इनके विचार में प्राक्कित विधि अर्थित बुद्धि का शास्त्र (The dictate of right reason) होती है। अर्थशास्त्र विधा भी अर्थ का अर्थवादी या अर्थवादी तक का अनुसार निर्धारित अर्थ जाना चाहिए। अर्थशास्त्र प्राक्कित विधि की अर्थवादी नैतिक समता ही अर्थवादी नैतिक समता प्राप्त करती है।

होयन (Hegyal) इ हान इच्छा की अर्थवादी का सिद्धांत का और भी विस्तृत रूप में अर्थवादी है। अर्थवादी के विचार से विधि अर्थवादी इच्छा तथा अनुष्ठान का सामाजिक इच्छा का अर्थवादी स्थापित करता है। यह अर्थवादी दो प्रकार से करता है। एक अर्थवादी यह सामाजिक इच्छा का अर्थवादी अर्थवादी है कि सामाजिक इच्छा अर्थवादी इच्छा का अर्थवादी हो जाय और इस प्रकार यह इन दोनों प्रकार की इच्छाओं में अर्थवादी स्थापित कर देता है। दूसरी ओर अर्थवादी इच्छा

नीतिशास्त्र के अनुसार निर्मित होती है। अतः नीतिकृता एवं विधान साध साध रहते हैं सामान्य के साथ ही नीतिक विधिशास्त्र एवम् दार्शनिक विधान दोनों एक ही पैर की दो पाखायें हैं।

Merits and Demerits—गुण और अवनगुण इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत विधान का उद्देश्य क्या हो है इसलिए यह कोई भी (१) व (Sociological school of Jurisprudence) कार्यों का अध्ययन करने के लिये कहते हैं विधि का सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करने के लिये नहीं। (२) इनके विचार से विधि एक सामाजिक संस्था है जिसमें सुधार करके समाज का अधिकाधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है। (३) इनके विचार से इही सिद्धांत की मूल्य से प्रवृत्ति एवं नियम के सिद्धांत तय किये जाते हैं। (४) इनके विचार से सामाजिक शास्त्र राजनीतिक रूप से संगठित समाज के कार्यों द्वारा सामाजिक सम्बन्धों को उचित रूप से संचालित करने का प्रयत्न किया करता है।

(स) तुलनात्मक विधि शास्त्र की पद्धति (**Comparative School of Jurisprudence**) —इस अध्ययन पद्धति का उद्देश्य विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं के सामान्य सिद्धांतों को एकत्रित करना उनका निरीक्षण करना और उनकी पारस्परिक तुलना करना होता है। हाल ही इस विधि के विषय में लिखते हैं कि तुलनात्मक विधि विभिन्न देशों की वैधानिक व्यवस्थाओं को संगठित एवं वर्गीकृत करती है और इस प्रकार तयार किये हुए निष्कर्ष से विधि शास्त्र का सूक्ष्म विधान उन विचारों एवं दृष्टिकोणों को निर्धारित करने के योग्य हो जाता है जो वास्तविक वैधानिक व्यवस्थाओं में प्रयोग किये जाते हैं।

यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति की अपेक्षा अधिक विकसित तथा अधिन अध्ययनात्मक होती है। परंतु ऐसा अध्ययन (Pollock) के मतानुसार अभी लाभ प्रदाय सिद्ध हो सकता है जब कि सम्यता का विकास हुआ हो तथा जिन पारिभाषिक शब्दों से तुलना की जाय उनका विशुद्ध विकास है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि रोम का विधान तुलनात्मक विधि शास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि विधि की अनेक विकसित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक विधि में इसका काफी योग रहा है। विष्काउएट ग्राम्सी मनेय कहते हैं व्यवहारिक दृष्टि से रोम के विधान का एक प्रा-भवि मान्य है। अतः रोम का विधान आज की दृष्टि तक प्रभावित हुआ है।

एक विद्वान् भी यह पद्धति को एक प्रतिविधि के रूप में कहता है कि विधि का अर्थ मनुष्य के अर्थ की प्रतिविधि के रूप में होता है। अतः रोम का विधान आज की दृष्टि तक प्रभावित हुआ है। अतः रोम का विधान आज की दृष्टि तक प्रभावित हुआ है।

इन्होंने तुलनात्मक पद्धति द्वारा यह प्रमाणित किया है कि प्रत्येक विधि का अपने निम्नलिखित काल में बहुत से सघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है उदाहरणार्थ सामंशिकता का प्रायः निर्वात (Serfdom) की प्रथा का प्रारंभ भीषण सम्पत्ति की रक्षकता उद्योग की स्वतन्त्रता और आर्थिक स्वतन्त्रता आदि गतान्द्रियों के सघर्षों के बाद प्राप्त हुई है।

Sir Henry Maine (सर हेनरी मेन) इन्होंने इंग्लैंड में एनिटिक तुलनात्मक विधि शास्त्र की नींव डाली। इन्होंने कई पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके अनुसार उसको तीन भागों में विभाजित किया (१) विधि शास्त्र की उत्पत्ति (२) समाज की उत्पत्ति तथा विद्यमान सामाजिक परम्परा का सिद्धांत (३) धर्मिक विधि जिसके अंतर्गत वसीयतनामा तथा उत्तराधिकार अर्थात् सम्पत्ति तथा सविद्यात्मक विधियों का विकास आता है। सर हेनरी मेन के इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना हुई और वहीं तो इनके सिद्धांत में कुछ त्रुटि या रह गइ पर सिद्धांत की लोग मानते हैं। सर फ्रेडरिक पौत्रक के शब्दों में हम लोग उस को उल्टा कर सकते हैं जिसको कि उसने स्वामी के अधीन छोड़ दिया जिसको कि वह आत्मी अथवा देव को इन में नष्ट कर मनजोत करता है तो हमारा राजा बल शायद लड़ने ही तो फिर भी स्वामी का ही होता है।

अध्ययाय २

राज्य तथा प्रभुसत्ता

State and Sovereignty

प्रश्न १२—राज्य का अर्थ क्या तात्पर्य है? इसके मुख्य लक्षण बताओ

Q 12 What is meant by State? Give its alien features

उत्तर—राज्य की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित किया है

राज्य एक मुख्य व्यक्ति है जिसको कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं।

प्रोफेसर हाउड ने राज्य की परिभाषा देने हुये लिखा है कि राज्य ऐसे बहुत से धर्मियों का संगठन है जो एक निश्चित प्रयोग में रहते हैं और जिन पर उस समुदाय के बहुमत की इच्छा या निश्चय बग की इच्छा उस बहुमत की शक्ति से या उस बग की शक्ति से लागू हानी है और उन सभी समस्या पर हावी रहती है जो इसका विरोध करते हैं।

जान सामण्ड के अनुसार राज्य उस जनसमुदाय के समूह को कहते हैं जो बाह्य शक्तों से बचाव और कुछ साधनों द्वारा कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के नियम स्थापित किया जाता है। यह उद्देश्य हैं समाज में शांति की स्थापना या सामण्ड ने कहा कि राज्य जन समाज का वह समूह है जो शांति एवं न्याय की स्थापना करता है।

पाकर मतादय ने सामण्ड की परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में कई और भागधाय शक्ति और सुरक्षा का बीड़ा उठानी है। यह आलोचना तक सगन नहीं मालूम पड़ती है। क्योंकि सामण्ड स्वयं कहते हैं कि राज्य शक्ति द्वारा शांति स्थापित कर सकता है कोई और समस्या ऐसा नहीं कर सकती। पाकर पुनः आलोचना करते हुये कहने हैं कि सामण्ड ने नैतिकता का ध्यान बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि राज्य की परिभाषा में नैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठना यदि उठना भी है तो शांति न्याय उसी आत्मसात गता है और राज्य की सुख सुविधा की दाने प्रा जाती है।

Leon Duguit विमान दुग्नी हाल्ट एवं सामण्ड के मत से सहमत नहीं हैं और कहते हैं कि राज्य एक जन समूह है जो कि एक देश विशेष पर निर्भर करता है जिसमें मजदूर व्यक्ति कमजोर शक्ति पर शासन करता है उसी का प्रभुसत्ता कहते हैं। उनका कहना है राज्य एक कहानी है। उनका यह भी कहना है विधान रण्य का देन नहीं है। इसकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से है तथा यह स्वयं राज्य की भी सीमाबद्ध करता है।

वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson) का मत है राज्य किसी एक शक्ति के जन संगठन को कहते हैं। (Austin) का कहना है विधान एक प्रायेण सूचक पत्र है। आस्टिन ने लिखा है कि राज्य प्रभुसत्ता का पयाव है। यह एक ऐसी व्यक्ति को या कुछ शक्तियों के समूह को सूचित करता है जो कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र समाज में सत्ता शक्ति रखते हैं। यहाँ पर प्रश्न यह कि आस्टिन ने राज्य की संवर्णना सम्बन्ध प्रदान की परिभाषा दी है परन्तु यह प्रश्न कि राज्य की शक्ति की शक्ति किया है। उन्होंने वास्तव में राज्य के सत्ता पर अधिकार दिया है।